No. ID//RTK/89/82/50614.—Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that an industrial dispute exists between the workman Shri Satish Kumar and the management of M/s Leathertone Company (India) Pvt. Ltd, Village Kassar Bahadurgarh, (Rohtak) regarding the matter hereinafter appearing;

And whereas the Governor of Haryana considers it desirable to refer the dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby refers to the Labour Court, Rohtak, constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947,—*vide* Government notification No. 3864-ASO(E)-Lab/70/13648, dated 8th May, 1970 read with Government Notification No. 9641-ILab-70/32573, dated 6th November, 1970 the matter specified below being either matter in dispute or matter relevant to or connected with the dispute as between the said management and the workman for adjudication: —

Whether the termination of service of Shri Satish Kumar was justified and in order ? If not, to what relief is he entitled ?

V. S. CHAUDHRI,

Deputy Secretary to Government, Haryana,
Labour Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 14 अक्तूबर, 1982

क्रमांक **1607-ज(II)-82/36217**.—श्री टेक राम, पुत्र श्री चन्दु, गांव हाट, तहसील सफीदों, जिला जीन्द, की दिनांक 15 दिसम्बर, 1981, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री टेक राम को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1632-ज-II-77/24628, दिनांक 30 सितम्बर, 1977 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे.-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती लिछमी देवी के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1443-ज(I)-82/36225**.—श्री रघुनाथ सिंह, पुत्र श्री सोहन सिंह, गांव भूना, तहसील फतेहाबाद, जिला हिसार, की दिनांक 10 मई, 1978, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(1ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रघुनाथ सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1877-आर(4)-67/1279, दिनांक 29 अप्रैल, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर.-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती सत्या देवी एल्यास आत्मा देवी के नाम खरीफ, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 18 अक्तूबर, 1982

क्रमांक **1539-ज(I)-82/36479**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चन्द्रावती, विधवा श्री जवाहरा राम, गांव झाझड़ा टोडा, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, को खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1536-ज(I)-82/36483**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती मोहरा देवी, विधवा श्री सुखदेव, गांव झाझड़ा टोडा, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, को खरीफ, 1964 से रबी, 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।